सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	कार्तिक 20, बुधवार, शाके 1942–नवम्बर 11, 2020 *Kartika 20, Wednesday, Saka 1942–November 11, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 04, 2020

जी.एस.आर.222 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (कक) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (कक) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है ;"

3. नियम 16,17,18,19 और 20 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 16,17,18,19 और 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"16. आवेदन आमंत्रित करना.- सेवा में सम्मिलित पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद का पे लेवल, केवल इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय बोर्ड या, यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे/उन्हें विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से

अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का भी चयन कर सकेगा।

17. आवेदन का प्रारूप.- आवेदन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में किया जायेगा और वह बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

18. आवेदन शुल्क.- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियत शुल्क का, ऐसी रीति से, जो वे/वह उपदर्शित करें/करे, संदाय करेगा।

19. आवेदनों की संवीक्षा.- बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उनके/उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे/करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वे/वह वांछनीय समझें/समझे, उनके/उसके द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेंगे/करेगाः

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें.- बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, एक सूची तैयार करेंगे और उसे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में क्रमांकित करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगेः

परन्तु बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भी आरक्षित सूची में रख सकेगा। अध्यपेक्षा किये जाने पर बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची बोर्ड द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को कर सकेगा। ''

4. अनुसूची -। का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची - । में, शीर्ष ग्रुप - । के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

"

.1	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	भारत में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समतुल्य, साथ में प्रतिष्ठित समाचारपत्र कार्यालय में या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के जन सम्पर्क विभाग में	-	-

			पत्रकारिता का 3 वर्ष का अनुभव या पत्रकारिता में डिप्लोमा/डिग्री सहित स्नातक। हिन्दी या अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्रीधारकों को अधिमान दिया जायेगा ।		

"

[संख्या एफ. 2(5)कार्मिक/क-2/89,
राज्यपाल के आदेश और नाम से
जय सिंह
संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, November 04, 2020

G.S.R.222 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Public Relations Subordinate Service (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975, hereinafter referred to as the said rules, the following new clause (aa) shall be inserted, namely:-

"(aa) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;"

3. Substitution of rule 16,17,18,19 and 20 .- The existing rules 16, 17, 18, 19, 20 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**16. Inviting of applications.-** Applications for direct recruitment to the posts included in the service shall be invited by the Board or the Appointing Authority, as the case may be, by advertising the vacancies to be filled in, in the Official Gazette or in such other manner as may be deemed fit. The advertisement shall contain a clause that candidate who accepts the assignment on the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the Government, from time to time, during the period of probation and the pay level of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in these rules:

Provided that while selecting candidates for the vacancies, so advertised, the Board or the Appointing Authority, as the case may be, may, if intimation of additional requirement, not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received by it/them before the selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.

17. Form of Application.- The application shall be made in the form prescribed by the Board or the Appointing Authority, as the case may be, and

obtainable from the office of Board or Appointing Authority, as the case may be, on payment of such fee as the Board or Appointing Authority, as the case may be, may from time to time, fix.

18. Application Fee.- A candidate for direct recruitment to a post in the service must pay the fee fixed by the Board or Appointing Authority, as the case may be, in such manner as may be specified by them/it.

19. Scrutiny of Applications.- The Board or Appointing Authority, as the case may be, shall scrutinize applications received by them/it and require, as many candidates qualified for appointment under these rules as seem to them/it desirable, to appear in written examination conducted by them/it:

Provided that decision of the Board or Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

20. Recommendation of the Board or the Appointing Authority .- The Board or Appointing Authority, as the case may be, shall prepare a list of the candidates whom they consider suitable for appointment to the post concerned and arrange them in the order of merit on the basis of marks obtained in the written examination and forward the same to the Appointing Authority:

Provided that the Board or Appointing Authority, as the case may be, may also to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates in the reserved lists. The Board or Appointing Authority, as the case may be, may, on requisition, recommend names of such candidates, in the order of merit to the Appointing Authority within six months from the date on which the original list is forwarded by the Board to the Appointing Authority.''

4. Amendment of Schedule-I .- In Schedule-I appended to the said rules, under the heading Group-I, the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Assistant Public Relations Officer	100% by direct recruitment	Graduate from a University established by law in India or its equivalent with 3 years' experience of Journalism in reputed newspaper office or in Public Relations Department of State Government or Government of India or Graduate with Diploma/Degree in Journalism. Preference will be given to persons	–	–

			having Post Graduate degree in Hindi or English.		

”

[No. F. 2 (5) DOP/A-2/89]
By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.